वाणिज्य अ.ज.– 729

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./अति.मु.अ. (मुख्यालय.)/अ.अ.–II/2017–18/प्रे 3879 दि: 13-3-18

आदेश

विषयः– स्वैच्छिक भार वृद्धि एव श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना।

निरन्तर विद्युत आपूर्ति, गुणवत्ता में वृद्धि एवं उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान के उद्देश्य से **''स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना''** लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में ''स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना'' को निम्न प्रावधानों के अनुसार दिनांक 30 अप्रेल, 2018 तक तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है।

1. समस्त श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता जिनका भार स्वीकृत भार से अधिक है, ऐसे समस्त उपभोक्ता दिनांक 30.04.2018 तक अपने बढे हुए भार की घोषणा कर सकते है।
2. ऐसे उपभोक्ता जिन्होने घरेलू श्रेणी में कनेक्शन लिए है परन्तु विभिन्न कारणों से अघरेलू श्रेणी में विद्युत का उपभोग कर रहें है, ऐसे समस्त उपभोक्ता दिनांक 30.04.2018 तक स्वैच्छिक श्रेणी परिवर्तन की घोषणा कर सकते है।
3. स्वैच्छिक भार वृद्धि /श्रेणी परिवर्तन के लिए उपभोक्ताओं को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन करना होगा एवं उनका बढा हुआ भार /परिवर्तित श्रेणी को प्रचलित नियमानुसार सामान्य दरों पर नियमित किया जावेगा।
4. इस योजना के अन्तर्गत 30.04.2018 तक स्वैच्छिक भार वृद्धि /श्रेणी परिवर्तन की घोषणा करने पर सर्तकता जांच नही की जावेगी।
5. ऐसे उपभोक्ता जिनके खिलाफ स्वीकृत भार से अधिक भार उपयोग करने अथवा घरेलू श्रेणी से अघरेलू श्रेणी में उपभोग करने के सतर्कता जांच प्रतिवेदन लम्बित है ऐसे लम्बित सतर्कता जांच के प्रकरणों में भी 30.06.2018 तक कोई जुर्माना राशि नही ली जावेगी। ऐसे प्रकरणों का भी स्वैच्छिक भार वृद्धि/श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना के अनुरूप सामान्य दरों पर ही निस्तारण किया जा सकेगा।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगें। समस्त क्षेत्रीय अधिकारी उपरोक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर